फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : प्रेमी **विपक्षी : नरेश**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 01/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.02.2018 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान 2018 में तलब की गई। प्रार्थीयां उपस्थित। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। विपक्षी सं. 1 से 3 उपस्थित होकर प्रार्थीयां के प्रार्थना पत्र को स्वींकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। विपक्षी सं. 4 अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। राजपेरोकार मावली द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रार्थीयां द्वारा प्रेम पुत्री रतनलाल प्रजापत की बैंक पास बुक की प्रति, अंक तालिका की प्रति, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में धन्नी पुत्री रतनलाल प्रजापत दर्ज हैं। जिसे दुरूस्त करा प्रेम पुत्री रतनलाल प्रजापत दुरूस्त किया जाने की प्रार्थना की हैं। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में नाम प्रेम पुत्री रतनलाल प्रजापत अंकित हैं। प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–:<u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड़ पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 3089, 3090 मी. किता 2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि में प्रार्थीयां का नाम धन्नी पुत्री रतनलाल प्रजापत के बजाय धन्नी उर्फ प्रेम पुत्री रतनलाल प्रजापत संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान में सुनाया गया। (जितेन्द्र ओझा) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	